राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"

-: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 50/2015

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
दुलाराम पुत्र दामाराम जाति जाट निवासी बालवा तहसील व जिला नागौर		कानीदेवी पत्नी कानाराम जाट निवासी पिलनवासी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

आदेश

दिनांक :– 03.06.2016

प्रार्थी की ओर से निम्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि :–

1 यह है कि, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (संशोधित) अधिनियम 2010 का प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद मौजा भदवासी तहसील नागौर स्थित रहता चला आया है जिसकी जमाबंदी मय नक्शा आवेदन के साथ प्रस्तुत है।

2 यह है कि प्रार्थी के उपरोक्त खेत के चिपता ही पश्चिमी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा भदवासी आया हुवा है नकल खतौनी व नक्शा साथ पेश है।

3 यह है कि प्रार्थी के उक्त कब्जा काश्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद मौजा भदवासी तहसील नागौर में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी व एक मात्र रास्ता ग्राम चकधिसनीया डेर से भदवासी रोड से पूर्वी तरफ फंट कर अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 161 की उतरी माठ के सहारे सहारे 12 गुणा 600 वर्गफुट प्रार्थी के उक्त खेत में जाने का रास्ता स्थित रहता चला आया है। उक्त रास्ता को आवेदन के साथ संलग्न नक्शा में मार्क ए. से बी. दर्शित किया गया है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद मौजा भदवासी तहसील नागौर में जाने का नहीं है। उक्त नक्शा प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है।

4 यह है कि प्रार्थी अपने उक्त खेत खसरा नम्बर 162 रकबा 36 बीघा 04 बिस्वा वाके सरहद मौजा भदवासी तहसील नागौर में पहुचने के लिए उक्त रास्ता नक्शे में दर्शित मार्क ए. से बी. खसरा नम्बर 161 की उतरी माठ के सहारे सहारे रास्ते के रुप में उपयोग करता है। जिस रास्ते की चोड़ाई 12 फुट व लम्बाई कुल 600 वर्गफुट है इस बाबत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बाकायदा 100 रु के स्टाम्प पर दिनांक 12.4.01 को रास्ते कि लिखापडी करके उस पर साक्षीगण कानाराम व भूराराम की साखे डलवाकर अपने अगुष्ठ निशान कर नोटेरी से अटेस्टेड करवा कर प्रार्थी को सुपुर्द की जिसकी प्रति साथ पेश है।

5 यह है कि प्रार्थी उक्त रास्ते पर मुड़िडया रोड़ बनवाने के लिए श्रीमान उपखण्ड अधिकारीजी का आवेदन पेश किया जिस पर श्रीमान् द्वारा तहसीलदारजी नागौर को निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिनांक 4.2.2014 को प्रार्थी के आवेदन पर ही दिया गया जिस पर पटवारी हल्का बाडाणी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 6.2.2014 को तैयार की जिसमें इकरानामें अनुसार मौके पर रास्ता होना व मुड़िडया सड़क बनने से रास्ता सुगम होने बाबत रिपोर्ट पेश की जिस रिपोर्ट की प्रति साथ पेश है।

6 यह है कि उक्त प्रावधान अनुसार प्रार्थी के आवागमन गाडी, छकड़ा वाहन व मवेशी आदि लाने ले जाने की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए आवश्यकतानुसार चिन्हित करते हुऐ रास्ता की घोषणा की जाकर राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया जाना उचित और न्याय संगत है जिसकी अनुमति के लिए यह आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

7 यह है कि प्रार्थी के खेत में आने जाने का इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है मौके पर रास्ता के शुरु से आज दिन तक लगातार कायम रहता चला आया है प्रार्थी उक्त प्रावधान के तहत निर्धारित शुल्क जो भी माननीय न्यायालय आदेश देगा जमा कराने को तैयार है, इसलिए उक्त रास्ता घोषित कर

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

रेकर्ड में दर्ज किये जाने मे किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं है।

8 यह है कि प्रार्थना पत्र में भूमिधारी तहसीलदार भी आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थना पत्र की सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह है कि आवेदन नियमानुसार न्यायालय शुल्क के साथ पेश है अन्य शुल्क जो विधिनुसार आवश्यक हो आदेश होने पर पेश करने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल नही होने से अप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्ट्री से पेशी दिनांक 21.12.15 एवं 27.1.16 को भिजवाये गये थे। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से कोई उपस्थित नही हुये है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। मामले मे तहसीलदार नागौर से मौके की रिपोर्ट तलब की गई जो दिनांक 2.6.16 को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली मे प्रस्तुत खतौनी जमाबंदी ग्राम भदवासी सम्वत 2067–70 मे वादग्रस्त खसरा नं. 162 प्रार्थी के खातेदारी मे दर्ज है। एवं ग्राम भदवासी के खसरा नं. 161 अप्रार्थी संख्या 1 कानी देवी के खातेदारी मे दर्ज साबित है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 162 रकबा 36 बीघा 4 विश्वा मौजा भदवासी मे आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नं. 161 की उत्तरी माठ के सारे सारे 12 गुणा 600 वर्ग फुट प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शा मार्क ए से बी तक रास्ते की मांग की है। इसके अलावा प्रार्थी के खातेदारी के खेत मे आने जाने हेतु कोई नजदीकी रास्ता नही है। तहसीलदार नागौर ने भी अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 162 में आने जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता बताई है। उक्त रास्ते मे 3 खेजडीयो के पेड एवं उक्त रास्ता का रकबा 0.08.05 होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 12.04.01 को एक इकरारनामा प्रार्थी दुलाराम के पक्ष में लिखकर नोटेरी से तस्दीक करवाया है। जो शामिल पत्रावली है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार एवं तहसीलदार भू0अ0 नागौर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 162 मौजा भदवासी मे आने जाने हेतु एवं खसरा नं. 160 कट्टाणी रास्ते से अपने खेत तक आने जाने के लिये अप्रार्थी सख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नं. 161 मौजा भदवासी मे से 12 फिट चौडा एवं 600 फिट लम्बा रास्ता संलग्न नक्शे मार्ग ए से बी तक रास्ता के रूप मे घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते का रकबा 0.08.05 की किमत ग्राम भदवासी के डीएलसी दर ग्रामीण से सड़क 14400/– रूपये के हिसाब से रास्ते पेटे रकबा 0.08.05 की कीमत 6480/– रूपये बनते है जिसकी दुगुनी दर से 6480x2=12960/- एवं 3 खेजडियो की कीमत 1500/- प्रति पेड के हिसाब 1500x3=4500/- बनते है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा 12960/- + 4500/- कुल 17460/- रूपये बनते है। प्रार्थी द्वारा उक्त रकम तहसील कार्यालय में जमा करवाये जाने पर खसरा नम्बर 161 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 को देय होगे। प्रार्थी द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार नागौर अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 161 रकबा 29 बीघा 12 बिस्वा मौजा भदवासी मे से रास्ता पेटे रकबा 0.08.05 कम करावे। उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग व उपभोग मे रहेगा।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

आदेश दिनांक 03.06.2016 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर